न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 103 / 2023

निर्णय दिनांक :– 15/6/23

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. आशा पुत्री गोरधन जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गणेश पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. दुर्गा पत्री जगदीश जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. दुर्गालाल पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. पारस पुत्री गोरधन जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. बद्रीलाल पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. राममूर्ति पत्नी रामराज जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. रामेश्वरी पत्नी गोरधन जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. राहुल पुत्र रामराज जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. शुभम पुत्र राजराज जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. शीला पुत्री गोरधन जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. सत्यनारायण पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. सीता पुत्री जगदीश जाति जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0

14. हेमराज पुत्र गोरधन जाति तेली निवासी दोलता तहसील देवली राज0

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

<u>उपस्थितिः–</u>
श्री रमेशचन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 284/513 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 2.98 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई। तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। ख. नं. 284/513 रकबा 0.47 पर आवेदक का कब्जा नहीं है। ख. नं. 285 रकबा 2.98 है0 पर कब्जाकाश्त है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

[redacted] आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिक्रमीत भूमि नहीं है। मुताबिक सीमाज्ञान पत्रावली में पूर्व सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 284/513 रकबा 0.47 है0 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है जिस पर पत्थरगढी का आदेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ख. नं. 285 रकबा 2.98 है0 कब्जाकाश्त है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2073–2076** में अंकित खाता संख्या 15 ख. नं. 285 रकबा 2.98 है0 ग्राम कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को उक्त आराजी की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली